न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा, आई.ए.एस.

राजस्व विविध :: 53/2018

प्रार्थी :–	**बनाम**	**अप्रार्थीः–**
सरकार जरिये तहसीलदार रोहट		पुखाराम पुत्र जवानमल पीटल, निवासी रामपुरा तहसील रोहट जिला पाली (राज.)

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थी अनुपस्थित

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

–:: आदेश ::–

दिनांक : 30.07.2018

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) रोहट द्वारा यह प्रार्थना पत्र याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में विरूद्ध अप्रार्थीगण के नाम अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का लालकी तहसील रोहट के खसरा नम्बर 285 किस्म गै.मु. नदी में से ख.न. 285/58 रकबा 15 बीघा किस्म बा.अ. के श्री पुरकाराम पुत्र जवानराम पीटल को नियम विरूद्ध किए गए आवंटन को निरस्त करने एवं उसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण को निरस्त कर भूमि पुनः गै.मु. नदी दर्ज किए जाने के लिए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरन्स प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से अप्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैराकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का लालकी तहसील रोहट जिला पाली के खसरा नम्बर 285 किस्म गै.मु. नदी में से ख.न. 285/58 रकबा 15 बीघा किस्म बा.अ. जो गैर मुमकिन नदी दर्ज थी। जिसका आवंटन पुरकाराम पुत्र जवानराम के पक्ष में आवंटन कमेटी द्वारा किस्म परिवर्तन गै.मु. नदी से बा.अ. कर किया गया है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से आवंटन नहीं किया जा सकता है। आवंटन कमेटी द्वारा किया गया उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालनार्थ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रश्नगत आराजी की भूमि के आवंटन आदेश के साथ ही उससे संदर्भित नामान्तरकरण संख्या 191 दिनांक 08.04.1975 एवं इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 544 दिनांक 25.06.2004 को भी निरस्त करवाकर पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावें।

सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का लालकी तहसील रोहट के खसरा नम्बर 285 किस्म गै. मु. नदी में से ख.न. 285/58 रकबा 15 बीघा किस्म बा.अ. जो गैर मुमकिन नदी दर्ज थी, जिसका आवंटन पुरकाराम पुत्र जवानराम निवासी रामपुरा को आवंटन कमेटी द्वारा किस्म परिवर्तन कर आवंटी के हक में 9 बीघा भूमि का आवंटन किया गया एवं उसकी पालना में नायब तहसीलदार पाली द्वारा नामान्तरकरण संख्या 191 दिनांक 08.04.1975 स्वीकृत करते

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

हुए आवंटी के हक में रकबा 15 बीघा का अंकन कर दिया। यह किस आधार पर किया गया प्रार्थना पत्र में इसका उल्लेख नही है तथा इसी नामान्तरकरण में आवंटी का नाम पुरकाराम के बजाय पुरखाराम कर उसको पुरखाराम पुत्र जवानराम के नाम से गैर खातेदार दर्ज किया गया एवं तहसीलदार (भू. अ.) रोहट ने जरिये ना.स. 544 दिनांक 25.06.2004 के द्वारा आवंटी को खातेदार दर्ज किया गया उसमें आवंटी की वल्दियत जवानराम से बदलकर जवानमल कर दिया गया तथा नामान्तरकरण संख्या 671 जिसका अन्तिम निर्णय नहीं किया हुआ हैं। उसमें अप्रार्थी(आवंटी) का नाम पुरखाराम से पुखाराम कर दिया। उपरोक्त बदलाव किन आदेशों की पालना में किए गए, इसका अकन नहीं है न ही प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में ही इन सब बातों का उल्लेख किया गया है। नामान्तरकरण संख्या 671 पर दर्ज पटवारी हल्का एंव भू अभिलेख निरीक्षक की टिप्पणी के अनुसार ग्राम रामपुरा में पुखाराम पुत्र जवानमल के नाम का कोई व्यक्ति न था, न है लेकिन तामील कुनिन्दा द्वारा प्रथमबार जारी नोटिस दिनांक 10.04.2018 पर रिपोर्ट का अंकन किया गया कि नाम गलत होने क कारण इस गांव में इस नाम का आदमी नहीं है, तत्पश्चात दुसरा नोटिस इसी नाम का दिनांक 08.06.2018 को जारी किया गया है जिसको तामील कुनिन्दा द्वारा पुखराम स्वयं से तामील करवाया जाना अंकित है। इस प्रकार पत्रावली संलग्न नामान्तरकरण की प्रतियों में आवंटी के नाम में विरोधाभास है तथा तामील कुनिन्दा द्वारा भी दो पृथक रिपोर्ट किया जाना विधी सम्मत नहीं है न ही प्रार्थना पत्र में उपरोक्त तथ्यों को स्पष्ट किया गया है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रोहट को निर्णय की प्रति नए सिरे से समस्त तथ्यों को प्रार्थना पत्र में स्पष्ट करते हुए राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतियों के साथ 15 दिवसों के भीतर पुनः पेश करने हेतु प्रेषित किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार रोहट को प्रेषित की जावे। पत्रावली इस न्यायालय से नम्बर से कम हो।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)